निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 33/अपील/18

उनवान अपील

कंवरलाल पिता नरभा जाति लोढा निवासी नाहरडीखुर्द तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

01. कंवरलाल पिता चम्पा जाति लोढा निवासी नाहरडीखुर्द तहसील बकानी
02. तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील इन्तकाल खारिज करने नामान्करण सं0 44 दिनांक 21.09.1983 उप तहसील बकानी

उपस्थितः— श्री शेलेन्द्र कुमार पोसवाल अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 15.07.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 21.09.1983 जिसके द्वारा ग्राम नाहरडीखुर्द की आराजी खसरा न0 44 रकबा 5 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 44 कंवरलाल आ0 चम्पा के नाम तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेंमों में अंकन किया है कि नामान्तरकरण पंजिका 44 से दिनांक 21.09.1983 को उप तहसीलदार बकानी ने इन्तकाल कंवरलाल आ0 चम्पा के नाम खोल दिया गया जबकि इस नाम का व्यक्ति पूरे गांव में नही है। नामान्तरकरण पंजीका में कंही भी यह तथ्य अंकित नही किया कि इस आधार पर कंवरलाल पिता चम्पा जाति लोढा के नाम नामान्तरकरण खोला तथा नामान्तरकरण पंजीका में किसी आधार पर सिर्फ नरभा को गोला लगाकर चम्पा किया गया है जो विधि विरूद्ध है प्रार्थी को दिनांक 11.02.1983 में जब आराजी एलाटमेन्ट हुई उससे पूर्व में तथा वर्तमान में भी कब्जा है। प्रार्थी अनपढ व निरक्षर व्यक्ति है वर्ष 2015 में किसान केडिट कार्ड बनाने के लिये उपरोक्त आराजी की नकल निकाली तो बैंक वालों से पता चला की आराजी में पिता का नाम गलत है। प्रार्थी के पुत्र द्वारा रेकार्ड की जानकारी लेने पर स्पष्ट हुआ कि नामान्तरकरण पंजिका में गलत तरीके से नरभा की जगह चम्पा कर दिया गया है । उक्त त्रुटी को दुरूस्त कराने के लिये सम्पर्क में रहा एलाटमेन्ट पत्रावली व रजिस्टर प्राप्त करने के लिये आवेदन किया लेकिन रेकार्ड में उपलब्ध नही है मात्र नामान्तरकरण पंजिका 44 रेकार्ड से प्राप्त हुई है जिसमें एलाटमेन्ट व उक्त त्रुटी उप तहसील बकानी ने की है जिसके बारे में पता चला। उप तहसील बकानी ने गलत तरीके से विधि विरूद्ध तरीके से बिना तथ्य अंकित किये नरभा की जगत चम्पा किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 21.09.1983 की पुनः जांच कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने व नामान्तरकरण संख्या 44 को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 01 के नोटिस बाद तामील प्राप्त कोई उपस्थित नही। रेस्पो0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हए। प्रकरण में हमारे द्वारा तहसीलदार बकानी से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि उप तहसीलदार बकानी द्वारा ग्राम नाहरडीखुर्द की आराजी ख0न0 44 रकबा 5 बीघा जिसका आवंटन कंवरलाल आ0 नरभा को भूमिहीन होने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था जिसका नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कंवरलाल आ0 नरभा के स्थान पर कवंरलाल आ0 चम्पा कर दिया गया। नामान्तरकरण पंजिका 44 से दिनांक 21.09.1983 को उप तहसीलदार बकानी ने इन्तकाल कंवरलाल आ0 चम्पा के नाम खोल दिया गया जबकि इस नाम का व्यक्ति पूरे गांव में नही है। नामान्तरकरण पंजीका में कंही नी भी यह तथ्य अंकित नही किया कि इस आधार पर कंवरलाल पिता चम्पा जाति लोढा के नाम नामान्तरकरण खोला तथा नामान्तरकरण पंजीका में किसी आधार पर सिर्फ नरभा को गोला लगाकर चम्पा किया गया है जो विधि विरूद्ध है प्रार्थी को दिनांक 11.02.1983 में जब आराजी एलाटमेन्ट हुई उससे पूर्व में तथा वर्तमान में भी कब्जा है। नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 21.09.1983 की पुनः जांच कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने व नामान्तरकरण संख्या 44 को खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि ग्राम वासियान अनुसार आराजी के आवंटन से आज दिनांक तक कब्जा कंवरलाल आ0 नरभा का ही है व कंवरलाल आ0 चम्पा नाम का व्यक्ति गांव में निवास नही करता है। राजस्व रेकार्ड अनुसार आवंटन तो कंवरलाल आ0 चम्पा को होना प्रमाणित है किन्तु इस नाम का व्यक्ति गावं में नही रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में हमारे द्वारा राजस्व अभियान केम्प आगरिया दिनांक 11.02.1983 के प्रोसिडिंग रजिस्टर को उपखण्ड कार्यालय झालावाड़ से तलब किया जाकर अवलोकन किया गया। उक्त प्रोसिडिंग रजिस्टर के क्रम संख्या 79 पर कवंरलाल आ0 चम्पा लोधा नि0 नाहर्डीकलां को ग्राम नाहर्डीखुर्द की आराजी ख0न0 24 रकबा 05 बीघा का आवंटन किया जाना अंकित हैं। इसी क्रम में तहसीलदार बकानी द्वारा क्रमांक 1294 दिनांक 24.06.2019 को भिजवाई गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम नाहर्डीखुर्द में ख0न0 44 रकबा 5 बीघा भूमि कवंरलाल आ0 चम्पा लोढा के नाम दिनांक 11.02.1983 को आवंटन हुई थी, क्रम स0 3 पर अकंन किया गया है कि'' ग्राम बोरझडी के नामा0 स.40 पर चस्पा अलाटमेन्ट सूची मे भी ग्राम नाहर्डीखुर्द की ख0न0 44 की 5 बीघा भूमि कवंरलाल आ0 चम्पा लोढा के नाम दर्ज है उक्त सूची में ख0न0 24 के स्थान पर ख0न0 44 किया हुआ है।'' तहसीलदार बकानी की रिपोर्ट 24.06.2019 के क्रम स0 4 पर स्थिति और स्पष्ट की गई है'' यह कि ग्राम नाहर्डीखुर्द में मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0न0 24, 1.04 बीघा भूमि गैर मुमकिन पहाडी खाता सरकार दर्ज है'' । पत्रावली के अवलोकन से कई खमियां उजागर होती है प्रोसिडिंग रजिस्टर अनुंसार प्रथमतः ग्राम नाहर्डीखुर्द की आराजी ख0न0 24 की 5 बीघा का आवंटन कवंरलाल आ0 चम्पा को किया गया है जबकि कंवरलाल आ0 चम्पा नाम का व्यक्ति वक्त आवंटन से आज दिनांक तक उक्त ग्राम में निवास ही नही होना रिपोर्ट तहसील से साबित है व जिस आराजी ख0न0 24 का आवंटन किया गया है उक्त आराजी का रकबा ही 1.04 बीघा है जो गैर मुमकिन पहाडी है जिसका आवंटन किया ही नही जा सकता। अपीलान्ट जिस नामान्तरकरण संख्या 44 के विरूद्ध अपील लाये हैं उक्त नामान्तरकरण के कॉलम स0 12 में खेत का क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण में 24 को काटकर 44 किया गया है तथा कॉलम स0 14 अनुसार '' आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 11.02.83 सूची क्रमांक 80 असल आदेश नामा0 40 बोरझडी पर चस्पा है'' इस प्रकार आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर अनुसार उक्त सूची में क्रमांक 80 पर उदा आ0 गमना लोधा दर्ज है । उपरोक्तानुसार तहसीलदार बकानी की रिपोर्ट की पुष्टी भी होती है । प्रकरण का अवलोकन करने से कई अनियमितताएं पाई गई हैं और उक्त अनियतिताओं की जांच करवाया जाना हमारी राय में नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बकानी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण की नियमों के परिपेक्ष्य में जांच करें कि क्या वक्त आवंटन कंवरलाल आ0 नरभा लोधा नि0 नाहर्डीकलां द्वारा भूमिहीन होने पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष ग्राम नाहर्डीखुर्द की आराजी ख0न0 44 के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था यदि कंवरलाल आ0 नरभा द्वारा उक्त आराजी के लिये नियमानुसार भूमिहीन होने की दशा में आवेदन किया गया था तो नामान्तरकरण सख्या 44 जो दिनांक 21.09.1983 को तस्दीक किया गया था को खारिज कर नवीन नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। और अगर उक्त आराजी हेतु किसी अन्य व्यक्ति(जो अस्तीत्व में ही नही) कंवरलाल आ0 चम्पा की और से आवेदन करवाया गया हो तो उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार प्रकरण प्रस्तुत करें। प्रकरण का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बकानी को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़